M. Com. IInd Semester

Subject - Inserance (बीमा)

Paper - IV (C)

Lecture By :

Dr. Rajesh Kesari
Associate Professor
(Ex. HOD & Dean)
Commerce faculty
Nehru Gram Bharati
(Deemed to be)
University, Prayagraj.

Topic - अग्नि बीमा का आशय एवं क्षेत्र

अग्नि बीमा का परिचय

अग्नि मानव-जीवन के लिए अमूल्य वरदान भी है और महान् संकट भी। इसे पावक, अर्थात् पवित्र करने वाला, कहते हैं; इसे दाहक, अर्थात् जलाने वाला, भी कहते हैं। बीमा के सन्दर्भ में हम इसकी ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों पर ही विचार करेंगे। अग्निकाण्ड सचमुच बड़ा विनाशकारी है। किसी घनी बस्ती में आग लग जाने पर वायु द्वारा गतिमान होकर यह विशाल क्षेत्र में व्याप्त हो सकती है और इसकी प्रचण्ड लपटों में अपार सम्पत्ति स्वाहा हो सकती है। अग्नि भयंकर जोखिम है।

इस जोखिम को कम करने के लिए अनेक निवारक और सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाते हैं। भवन-निर्माण में फायर-प्रूफ सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। बड़े-बड़े कारखानों और व्यापारिक भवनों में आग बुझाने के यन्त्र लगे रहते हैं; जैसे स्वचालित छिड़काव-यन्त्र (आटोमेटिक स्प्रिंकलर्स), जिनके द्वारा आग लगते ही पाइपों से पानी की धार छूटने लगती है ताकि आग बुझ जाय। इसके अतिरिक्त प्रायः सभी नगरों में फायर-ब्रिगेड (Fire Brigade) हैं। कहीं पर आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड वाले अपनी दमकलों के साथ तुरन्त घटनास्थल पर पहुँचकर आग बुझाने में जुट जाते हैं। अग्नि के जोखिमों को कम करने के सम्बन्ध में निरन्तर वैज्ञानिक अनुसन्धान हो रहे हैं और नये-नये उपायों का प्रचार किया जा रहा है।

तथापि अग्नि का जोखिम पूर्णतया नियन्त्रित नहीं किया जा सकता। यह जोखिम अब भी विद्यमान है, और यह बड़ा भयंकर जोखिम है। आये दिन आग लगने से भीषण क्षति के समाचार आते ही रहते हैं। इसलिए इस जोखिम से सुरक्षा की व्यवस्था अत्यावश्यक है। अग्नि बीमा ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है। अग्नि बीमा के अन्तर्गत बीमादाता निश्चित अवधि में आग लगने से बीमित सम्पत्ति से क्षति होने पर बीमादाता की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व ग्रहण करता है। इसलिए अग्नि बीमा कराकर बीमादार अपने कारखाने या गोदाम या दुकान या निवास-स्थान में आग लगने के कारण सम्भावित सर्वनाश से पूर्णतया निश्चिन्त हो जाता है।

अग्नि बीमा का क्षेत्र

भारतीय बीमा अधिनियम के अनुसार अग्नि-बीमा के अन्तर्गत उन हानियों की क्षतिपूर्ति की जाती है (क) जो अग्नि द्वारा अथवा अग्निकाण्ड के फलस्वरूप होती हैं, अथवा (ख) जो प्रथानुसार अग्नि-बीमा पत्र के अन्तर्गत संवृत्त की जाती हैं।[1] लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी अन्य वर्ग के बीमापत्र में अन्य जोखिमों के साथ अग्नि के जोखिम को भी संवृत्त किया गया हो, तो उसे अग्नि बीमा के क्षेत्र में नहीं माना जायगा।

अग्नि बीमा के क्षेत्र को हम दो वर्गों में बाँट सकते हैं : (1) साधारण क्षेत्र, और (2) विस्तृत क्षेत्र। साधारण बीमापत्रों में संवृत्त जोखिम द्वारा अग्नि बीमा का साधारण क्षेत्र निर्धारित होता है—इसमें बहुतेरे जोखिमों का बीमा नहीं होता, अतः यह संकुचित क्षेत्र है; किन्तु अब अनेक विशेष बीमापत्रों का भी चलन है जिनके

---

1 "Fire insurance business" means the business of effecting, otherwise than incidentally to some other class of insurance business, contracts of insurance against loss by or incidental to fire or other occurrence customarily included among the risks insurred against in fire insurance policies.
—*Insurance Act, 1938, Section 2.*

अन्तर्गत अपेक्षाकृत अधिक जोखिमों और हानियों को संवृत्त किया जाता है। इन विशेष बीमापत्रों के फलस्वरूप अग्नि बीमा का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है।

अग्नि बीमा का साधारण क्षेत्र

भारतीय बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के अनुसार अग्नि बीमा के अन्तर्गत उन हानियों के प्रति बीमा किया जाता है (क) जो अग्नि द्वारा अथवा आग लगने के सिलसिले में होती हों, अथवा (ख) जो प्रथानुसार अग्नि बीमापत्रों के अन्तर्गत संवृत्त की जाती हों, किन्तु उक्त धारा में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी अन्य वर्ग के बीमे में अग्नि द्वारा हुई हानि को संवृत किया गया हो, तब उसे अग्नि बीमा नहीं कहा जायगा। उदाहरणार्थ, समुद्री बीमापत्र के अन्तर्गत भी अग्नि द्वारा हुई हानि का बीमा किया जाता है, किन्तु इसे समुद्री बीमा ही माना जाता है। अग्नि बीमा का क्षेत्र ज्ञात करते समय उक्त बात को ध्यान में रखना आवश्यक है।

साधारण अग्नि बीमापत्र में बीमादाता यह जिम्मेदारी लेता है कि यदि बीमा-अवधि में आग लगने से बीमित विषय नष्ट हो जाय तब बीमादार को क्षतिपूर्ति की जायगी। किन्तु इसमें अनेक जोखिमों को अपवाद घोषित कर दिया जाता है। अतः साधारण क्षेत्र जानने के लिए हमें इन प्रश्नों पर विचार करना होगा कि (1) 'अग्नि' का क्या अर्थ है, (2) किन क्षतियों को 'अग्नि' द्वारा हुई क्षति माना जाता है, (3) साधारण अग्नि बीमापत्र में किन जोखिमों को संवृत्त किया जाता है; और (4) किन जोखिमों को सामान्यतः संवृत्त नहीं किया जाता।

अग्नि बीमा में 'अग्नि का अर्थ—अग्नि बीमा के सन्दर्भ में 'अग्नि' का एक विशिष्ट अर्थ है जो सर्वसाधारण अर्थ से कुछ भिन्न होता है। सर्वसाधारण अर्थ में अग्नि के अनेक रूप हो सकते हैं और यह अनिवार्य नहीं होता कि आग की लपटें निकलने पर ही हम उसे 'अग्नि' मानें; इसी प्रकार, आग अचानक लगी या स्वैच्छिक रूप से आग जलायी गयी (जैसे चूल्हे में)—इन दोनों ही दशाओं को सर्वसाधारण अर्थ में 'अग्नि' ही कहा जायगा। किन्तु अग्नि बीमा में, जहाँ अग्नि द्वारा हानि होने पर बीमा-संस्था के ऊपर क्षतिपूर्ति का दावा होता है, 'अग्नि' का विशेष अर्थ होता है। इसमें 'अग्नि' का अर्थ है वह अग्नि जिसमे ज्वाला हो और जो आकस्मिक रूप से प्रकट हुई हो। अतः अग्नि बीमा मे यह प्रमाणित करने के लिए कि अग्नि द्वारा ही हानि हुई थी, दो बातें सिद्ध करनी होती हैं: (1) उस अग्नि में ज्वाला (ignition) प्रकट हुई थी, (2) वह अग्नि आकस्मिक (accidental) थी।

अग्नि में यदि ज्वाला नहीं प्रकट हुई हो तब बीमा के सन्दर्भ में इसे 'अग्नि' नहीं माना जा सकता। कुछ वस्तुएँ रासायनिक प्रभाव से जल या झुलस जाती हैं या तापमान बहुत ऊँचा होने से जल जाती हैं, किन्तु यदि ऐसा होते समय ज्वाला (ignition) न प्रकट हुई हो तब इसे अग्नि द्वारा जला या झुलसा नहीं कहा जा सकता। विद्युत्पात के कारण यदि ज्वाला प्रकट हो तब वह हानि अग्नि के कारण

हुई मानी जायगी, किन्तु ज्वाला प्रकट न होने पर वह हानि विद्युत्पात के कारण हुई मानी जायगी, अग्नि के कारण नहीं।

दूसरी बात, जो प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है, यह है कि ऐसी अग्नि आकस्मिक रूप से हुई। यदि आग लगने में इस आकस्मिकता का अभाव है तब इसके लिए बीमा कम्पनी दायी नहीं होगी। जैसे, यदि आग साधारण कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे रसोई बनाने अथवा निर्माण कार्यों के लिए, या अन्य गृह कार्यों के लिए और अपनी उचित सीमा में रहती है तब उससे हुई क्षति के लिए बीमा कम्पनी जिम्मेदार नहीं क्योंकि यहाँ तो प्रयोजनवश आग जलायी गयी है और इसमें आकस्मिकता नहीं। ऐसी अग्नि को 'मैत्रीपूर्ण अग्नि' (Friendly fire) कहते हैं। यदि इससे कोई चीज झुलस जाय या चटक जाय या भस्म हो जाय तो बीमा की दृष्टि से ऐसी हानि को 'अग्नि' द्वारा हुई नहीं कहेंगे। किन्तु यदि इस ढंग से प्रयुक्त आग से चिनगारियाँ निकलकर उचित सीमा से बाहर चली जायें और ज्वलित होकर बीमा कराये हुए विषय को नष्ट कर दें तब यह आकस्मिक रूप से हुई क्षति कही जायेगी जिसके लिए कम्पनी बाध्य रहेगी। संक्षेप में, बीमा के सन्दर्भ में यदि आकस्मिक परिस्थितियों में कोई ऐसी वस्तु अग्नि पर है जिसे अग्नि पर नहीं होना चाहिए था तो उसकी क्षति को 'अग्निजन्य' माना जाता है।

अग्नि द्वारा हानि या क्षति—जो वस्तु उपर्युक्त अर्थ में अग्नि के सम्पर्क में आने के कारण नष्ट हो जाय, उसकी हानि तो प्रत्यक्षतः अग्नि द्वारा हुई कही जायगी। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि बीमित विषय अग्नि के सम्पर्क में आकर ही नष्ट हो। बीमादाता उन सभी हानियों की पूर्ति करने के लिए बाध्य है जिनका आसन्न कारण (Proximate cause) अग्नि हो। बीमित विषय अग्नि से बहुत दूरी पर हो सकता है, किन्तु यदि उसकी हानि मूलतः अग्नि के कारण हुई हो तब उसके प्रति बीमादाता दायी रहेगा। उदाहरण के लिए, आग लगने पर उसे नियन्त्रित करने की क्रिया में पानी फेंका जाता है, फायर ब्रिगेड वाले मकान की तोड़-फोड़ करते हैं, आग न लगने पाये इस विचार से सामान आदि उठाकर बाहर फेंक दिये जाते हैं, घनी बस्ती में आग व्याप्त होने के संकट को रोकने के विचार से पड़ोसी के मकान का कुछ भाग गिरा दिया जाता है, आदि। इन कार्यों से हुई क्षतियों को भी 'अग्नि' द्वारा हुई माना जाता है। इसी प्रकार, पड़ोस के मकान में आग लगने से बीमित सम्पत्ति धुएँ, पानी, आदि द्वारा अथवा उसकी दीवार गिरने से क्षति पहुँच सकती